अधिसूचना सं0 24/2014-सीमाशुल्क नई दिल्ली, तारीख 11 जुलाई, 2014.

सा0का0नि0.....(अ)- केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 51/96-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा0का0नि0 सं0 303(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में, सारणी के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"3. जहां आयातकर्ता भारत सरकार के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास रजिस्ट्रीकृत नहीं है वहां वह माल की निकासी के समय लागू सीमाशुल्क और आयातित माल पर अतिरिक्त शुल्क संदत्त करेगा :

परन्तु ऐसा रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने और उक्त सारणी के स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करने के पश्चात् आयात पत्तन पर अधिकारिता रखने वाले यथास्थिति, सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त के समक्ष उक्त शुल्कों के संदाय की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो कि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, जैसा कि सीमाशुल्क आयुक्त अनुज्ञात करे, संदत्त शुल्क की ऐसी रकम के प्रतिदाय के लिए जिसके लिए इस अधिसूचना के अधीन छूट प्रदान की गई है, दावा फाइल कर सकेगा ।" ।

(फा.सं. 334/15/2014-टीआरयू)

(प्रमोद कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं0 51/96-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 भारत के

राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं. 303(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 24/2007- सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2007 द्वारा जो सा.का.नि. 121 (अ), तारीख 1 मार्च, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।